



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा तलावली माँगलिया, इन्दौर (मप्र.) 453771
Email – sanchi13a@gmail.com

!! साँची के समस्त दुग्ध उत्पाद (धी छोड़कर)/आइसक्रीम/टेबल
बटर/रिटेल पैकिंग SMP विक्रय हेतु सुपरस्टाकिस्ट चयन हेतु ऑनलाईन
अभिसूचि की अभिव्यक्ति चतुर्थ सूचना !!

:: आमंत्रण ::

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र
इन्दौर से साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वितरण हेतु
सुपरस्टॉकिस्ट चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से चतुर्थ **E.O.I.**
दस्तावेज दिनांक **17.02.2025** तक आमंत्रित किये जाते हैं। अधिक
जानकारी के लिए आवेदन **MPCDF** की वेबसाइट www.sanchidairy.com
पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र को निर्धारित मूल्य रु. 1,000/-
का भुगतान कर वेबसाइट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते
हैं। निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य
कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास
सुरक्षित रहेगा। इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह ऊपर
वर्णित वेबसाइट के अलावा अन्यत्र कहीं भी प्रदर्शित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र इन्दौर से इन्दौर शहर में
साँची दुग्ध उत्पाद (घी छोड़कर)
/आइसक्रीम/टेबल बटर/रिटेल पैकिंग SMP
विक्रय हेतु सुपरस्टॉकिस्ट चयन हेतु ऑनलाईन
अभिरुचि की अभिव्यक्ति चतुर्थ (EOI) प्रपत्र
कार्यावधि वर्ष 2024–2027 हेतु



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा तलावली माँगलिया, इन्दौर 453771
Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

३२ साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट चयन हेतु EOI प्रपत्र ८०

1	E.O.I. प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय।	17.02.2025 दोपहर 12:00 बजे तक।
2	E.O.I. (ऑनलाईन) जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	17.02.2025 दोपहर 12:00 बजे तक।
3	E.O.I. खोलने की तिथि एवं समय	18.02.2025 दोपहर 1:00 बजे तक।
4	E.O.I. के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि (ई.एम.डी.)	रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र)
5	सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप।	प्रपत्र 01
6	सुपरस्टॉकिस्ट की सामान्य शर्तें।	प्रपत्र 02
7	सामान्य जानकारी आवेदन पत्र	प्रपत्र 03
8	शपथ पत्र का प्रारूप	प्रपत्र 04
9	अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)	प्रपत्र 05
10	साँची दुग्ध उत्पाद (घी छोड़कर) /आइसक्रीम/टेबल बटर की दर संरचना का प्रारूप	प्रपत्र 06
11	अनुबन्ध का प्रारूप	प्रपत्र 07
12	स्कोर बोर्ड का प्रारूप	प्रपत्र 08
13	किसी से कोई संबंध नहीं होने के शपथ पत्र का प्रारूप	प्रपत्र 09

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :- साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट चयन हेतु आवेदन पत्र।
महोदय,

साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट हेतु दिनांक को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा E.O.I. प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी E.O.I. स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हताये 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	साँची दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम 03 रेफ्रिजरेटेड वाहन (2 डिग्री से 4 डिग्री) क्षमता 1.50 से 2.00 टन एवं 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) क्षमता 1.50 से 2.00 टन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें या नये वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के स्टॉप पत्र पर नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
7.	आवेदक के पास दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर व्यवसाय हेतु "खाद्य सुरक्षा" FSSAI का लाइसेंस होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति ऑनलाईन आवेदन की तकनीकी बिड के साथ संलग्न की जाये। कार्य आवंटन की दशा में दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर परिवहन हेतु भी FSSAI के अन्तर्गत परिवहनकर्ता का लाईसेंस लेना/रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
8.	इनकम टेक्स रिटर्न वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तीनों वर्षों की आई.टी.आर. की प्रति प्रस्तुत करना होगी।	
9.	वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तीनों वर्षों का कुल रुपये 25.00 करोड़ का दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर व्यवसाय से तीनों वर्षों का टर्नओवर होना अनिवार्य है। वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का सी.ए. द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट जिसमें यु.डी.आय.एन. नम्बर एवं व्यवसाय का प्रकार का दिखाया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय व्यवसाय में न्यूनतम 03 वर्ष के अनुभवधारी ही पात्र होंगे।	
10.	आवेदनकर्ता के विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो एवं किसी भी पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज न हो। कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा नहीं उसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से प्रमाणित कर संलग्न करें। नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
11.	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना आवश्यक है।	
12.	MPCDF के भंडार-क्रय नियम की उपकण्डिका क्र. 8.04 के अनुसार "यदि किसी भी निविदाकार को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अद्वैशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।" इस हेतु रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉप पर शपथ पत्र संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।	
13.	वर्तमान में दुग्ध संघ में कार्यरत दूध/धी/दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक द्वारा यदि भाग लिया जाता है तो दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कार्यरत वितरक/पार्लर संचालक/एजेन्सी संचालक भाग लिया जाता है, तो दुग्ध, धी एवं दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त कर तकनीकी बिड के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें। दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. हेतु प्रपत्र क्र. 05 संलग्न है।	
14.	इन्दौर दुग्ध संघ के साथ किसी भी प्रकार का विवाद रखने वाली संस्था या फर्म या व्यक्ति इस E.O.I. में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।	
15.	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी।	
16.	आवेदनकर्ता को इन्दौर शहर में दुग्ध उत्पाद भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज 2 डिग्री से 4 डिग्री तक का स्वच्छ, धूल रहित स्थान पर एवं आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) स्वयं/किराए का गोडाउन या डीप फ्रीजर क्षमता 01 मीट्रिक टन होने पर। (अर्थात् 3000 क्युबिक फीट का कोल्ड रूम -20 डिग्री तापमान वाला एवं 10 डीप फ्रीज न्यूनतम 100 लीटर क्षमता वाला होने पर या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
17.	आवेदनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के सदस्य का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) नहीं है। इस बाबत का नोटराइज्ड, शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।	

नोट – उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं के प्रमाणक तालिका में उल्लेखित क्रमानुसार ऑनलाईन प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर ——————

नाम ——————

पता ——————

दूरभाष/मोबाइल नम्बर ——————

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

साँची दुग्ध उत्पाद (धी छोड़कर)/आइसक्रीम/टेबल बटर/स्टिल पैकिंग SMP सुपरस्टाकिस्ट की EOI हेतु आवश्यक शर्तें

- 1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन-लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रु. रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।
- 3) सफल आवेदक की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रूपये **5.00** लाख नकद आर.टी.जी. एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में एवं राशि रूपये **5.00** लाख की बैंक ग्यारंटी या **F.D.** इन्दौर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय में एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि पर कोई व्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन भी प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस तरह कुल प्रतिभूति राशि रूपये **11.00** लाख होगी। कार्यादेश मिलते ही अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- 4) सफल आवेदक को इन्दौर शहर में दुग्ध उत्पाद भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज 2 डिग्री से 4 डिग्री तक का स्वच्छ, धूल रहित स्थान पर एवं आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) स्वयं/किराए का गोडाउन या डीप फ्रीजर क्षमता 01 मीट्रिक टन होने पर। (अर्थात् 3000 क्युबिक फीट का कोल्ड रूम -20 डिग्री तापमान वाला एवं 10 डीप फ्रीज न्यूनतम 100 लीटर क्षमता वाला होने पर या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही वितरण कार्य में लगाए जाने वाले आवश्यकतानुसार न्यूनतम 03 रेफ्रिजरेटेड वाहन (2 डिग्री से 4 डिग्री) तापमान एवं 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) तापमान सभी वाहनों की क्षमता 1.50 से 2.00 टन होना अनिवार्य है। (प्रत्येक वाहन की पृथक-पृथक) होकर तीन ओर से कवर्ड, एक ओर दरवाजा होगा, की व्यवस्था भी करना होगी। वितरण वाहनों की बॉडी समतल होगी, जिससे दुग्ध संघ के मापदंड अनुसार विज्ञापन को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा तथा उसे प्रतिवर्ष बदलना होगा। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे गोदाम किराया अनुबंध या भण्डारण स्थल की रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन फिटनेस भी जमा करवाने होंगे। वाहन पर संलग्न किए जाने वाले वाहन चालक/परिचालक के स्वयं द्वारा सत्यापित परिचय पत्र (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, वर्तमान निवास, मूल निवास, मोबाइल नंबर आदि) वैध लाईसेंस की छायाप्रति कार्यालय में देना होगी। इसी तरह उक्त स्टॉफ में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उपरोक्तानुसार देना अनिवार्य होगा एवं यही मापदंड नये कर्मी के लिए भी रहेंगे।
- 5) सफल आवेदक को सभी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जब तक वाहन स्वयं के नाम से उपलब्ध नहीं हो तब तक कार्य जारी रखने के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना होगी। वाहन पर दुग्ध संघ द्वारा बताई गई ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से प्रिंट-पेंट कराना होगी।
- 6) सुपरस्टॉकिस्ट के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :-
 - 6.1) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण इन्दौर जिले के कार्य क्षेत्र में सभी वितरकों एवं प्रमुख दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रेताओं की माँग प्राप्त कर उसकी पूर्ति हेतु वाहन भेजना आवश्यक होगा।
 - 6.2) सुपरस्टॉकिस्ट को आवश्यकता अनुसार वाहनों को संचालित करना होगा।

- 6.3) सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर की वेरिएंट अनुसार माँग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन मुख्य दुग्ध संघर्ष को देना होगी।
- 6.4) सुपरस्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, लीकेज, वजन, पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। एक बार वाहन डिस्पैच होने के पश्चात् दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जाएगा। न ही रिप्लेसमेन्ट दिया जाएगा।
- 6.5) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय की माँग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम राशि दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय किया जावेगा (जमा प्रतिभूति राशि के एवज में दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर नहीं दिया जाएगा) अग्रिम राशि जमा नहीं होने पर दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी।
- 6.6) सफल आवेदक को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम पर संचालित बैंक खाते के अकाउण्ट-पे रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम में दुग्ध संघ को देने होंगे।
- 6.7) इन्दौर शहर में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वितरण हेतु वाहन संचालित करना होगा।
- 6.8) सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान मे प्रचलित निर्धारित मार्जिन वितरक/विक्रेताओं को देना अनिवार्य होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर सुपरस्टॉकिस्ट को मान्य करना होगा।
- 6.9) सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय हेतु इन्दौर शहर में न्यूनतम 05 टन दुग्ध उत्पाद भंडारण हेतु पृथक से गोडाऊन व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
- 6.10) साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय में किसी प्रकार के नकली दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय के कार्य एवं ब्रांड को क्षति पहुँचाने वाले कार्य किये जाने पर सुपरस्टॉकिस्ट को ब्लेकलिस्ट किया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।
- 6.11) सफल आवेदक को इन्दौर शहर में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय में वृद्धि हेतु वितरक नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
- 7) इन्दौर जिले में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय हेतु नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपरस्टॉकिस्ट को कम से कम पाँच योग्य विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर रखना होगा एवं उनकी आवश्यकतानुसार वृद्धि करना होगी।
- 8) यह कि अनुबंधित अवधि में प्रतिमाह 125 टन दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर बेचना अनिवार्य होगा (न्यूनतम)/यदि किसी भी 03 माह में इससे कम दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर बेचा जाता है, तो प्रतिभूति राशि में से रूपये 50,000/- का समायोजन पैनाल्टी बतौर दुग्ध संघ खातें में कर लिया जाएगा।
- 9) **E.O.I.** में समान अंक आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा। अंक तालिका हेतु प्रपत्र 08 संलग्न है। इसके आधार पर चयन होगा।
- 10) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।
- 11) सुपरस्टॉकिस्ट सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्हीं विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कफर्यू, निजी व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना होगा।
- 12) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले 03 रेफ्रिजरेटेड वाहन (2 डिग्री से 4 डिग्री) एवं 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) की वाहन से वितरण करना अनिवार्य होगा।

- 13) आवेदक का चयन होने के पश्चात कार्य के दौरान क्षेत्र के किसी भी वितरक से यह शिकायत प्राप्त होती है कि उन्हें सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय नहीं किया गया है, यह प्रमाणित होने पर सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वितरण कार्य से पृथक कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 14) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार रूपये 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल सॉची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वितरण/विक्रय हेतु इन्दौर शहर हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 15) सुपरस्टॉकिस्ट को एक माह का पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में सुपरस्टॉकिस्ट कार्य बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को **तीन माह** का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट (सॉची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर) का कार्य छोड़ने बाबद देना होगा।
- 16) संघ से क्रय किये जाने वाले दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर की राशि **RTGS** के माध्यम से संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तांतरण कराना अनिवार्य है।
- 17) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राइडिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपरस्टाकिस्ट को स्वयं के व्यय से करना होगी।
- 18) **E.O.I.** प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 19) किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
- 20) **E.O.I.** में प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 21) **E.O.I.** स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदक की अर्नेस्ट मनी जब्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- 22) **E.O.I.** ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादा, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 23) सुपरस्टॉकिस्ट अपने कार्यक्षेत्र में रिटेलरों द्वारा उपभोक्ताओं को MRP पे ही सॉची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेगे। **MRP** से अधिक दर पर विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होंगे।
- 24) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर माननीय प्रबंध संचालक महोदय, मध्यप्रदेश को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 25) **E.O.I.** स्वीकृत होने के पश्चात आवेदक द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
- 26) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, **MPCDF** को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बाट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- 27) प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
- 28) इस अनुबंध का न्यायालयिक कार्यक्षेत्र इन्दौर शहर का न्यायालय में रहेगा।

- 29) टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 30) सफल आवेदक को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधकर्ता की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में सुपरस्टॉकिस्ट कार्य किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी समस्त लेनदारी-देनेदारी का निराकरण करेगा।
- 31) आवेदक को **E.O.I.** प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्रमांक (03) एवं (04) रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पत्र पर तथा प्रपत्र क्रमांक 05 दुग्ध संघ से (यदि वर्तमान में वितरक है ता) एन.ओ.सी. प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के तकनीकी विवरण प्रपत्र क्रमांक 01 के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- 32) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
- 33) यह कि अनुबंध के विषयों पर उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय, इन्डौर को होगा।
- 34) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो जमानतदार द्वितीय पक्ष को देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरानामें के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीय पक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक रहेंगे। द्वितीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।
- 35) यह कि द्वितीय पक्ष को दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय वृद्धि हेतु दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर विक्रय लक्ष्य दिए जावेंगे। जिसकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
- 36) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय लक्ष्य की समीक्षा की जावेगी, समीक्षा पश्चात सुपरस्टॉकिस्ट दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर एजेंसी आगे ओर बढ़ाई जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।
- 37) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वांछित मात्रा की माँग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित में प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर उठाया जाना होगा, एक बार माँग दिए जाने पर उसमें किसी प्रकार की काट-छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
- 38) यह कि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रीत होने वाले दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
- 39) यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ निर्मित दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर के सेंपल की माँग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट उन्हे सील बंद इकाई (दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर) देवेंगे, किसी भी रिथिति में खुल्ला दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेंपल होने की सूचना तत्काल दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियाँ भी कार्यालय में 03 घण्टे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।
- 40) यह कि द्वितीय पक्ष “सॉची” दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय हेतु अधिकृत सुपरस्टॉकिस्ट रहेगा, अतः छोटे-छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बना कर रखना होगा, जिससे सॉची ब्राण्ड दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती रहे।
- 41) यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील/बंधनकारी रहेगा।
- 42) यह कि उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। किये जाने वाले परिवर्तन की सूचना द्वितीयपक्ष को लिखित में दी जाएगी।

- 43) द्वितीय पक्ष के वितरण वाहन को किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आकस्मिक निरिक्षण किया जा सकता है। यदि आकस्मिक निरिक्षण के दौरान वितरण वाहन में आपत्तिजनक/प्रतिबंधित वस्तुएँ एवं प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर अथवा अन्य चीजें पायी जाती हैं तो द्वितीय पक्ष को तत्काल ब्लैक लिस्टेड कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित द्वितीय पक्ष की होगी।
- 44) द्वितीय पक्ष किसी भी दशा में कार्य प्रारंभ करने के उपरांत इस कार्य को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। यदि अनुबंध अवधी के दौरान तत्संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, समिति द्वारा जाँच उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर, द्वितीय पक्ष ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
- 45) भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 46) यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष का स्टॉफ कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। द्वितीय पक्ष तत्काल ऐसे स्टॉफ को कार्य से पृथक करेगे अन्यथा द्वितीय पक्ष या इनके स्टॉफ द्वारा अनुशासनहीनता करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।
- 47) उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष की सहमति बंधनकारी होगी।
- 48) वार्षिक विक्रय में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी आवश्यक होगी।
- 49) दुग्ध संघ की ब्राण्डिंग का दुरुपयोग नहीं हो जैसे :— जालसाजी, डूप्लीकेटिंग में पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 50) साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर को बल्क में क्रय कर स्वयं/अन्य ब्राण्ड की पैकिंग में विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट कार्य से पृथक कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
- 51) साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट हेतु जारी इस E.O.I. में दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर उत्पादनकर्ता फर्म को पात्रता नहीं रहेगी।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य आवंटन की सामान्य शर्ते एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ ली गई हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा चयन निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि जब्ती की कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा चयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

नाम —

हस्ताक्षर

साँची दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु EOI प्रपत्र

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <p>1. आवेदक का नाम—</p> <p>2. पिता/पति का नाम—</p> <p>3. शैक्षणिक योग्यता—</p> <p>4. स्थाई पता—</p> | <p>स्वहस्ताक्षरित फोटो
लगावें</p> |
| <p>5. ई—मेल अनिवार्य रूप से अंकित करें –</p> <p>(आधार कार्ड की छायाप्रति/दूरभाष/मोबाइल नं. सहित)</p> <p>6. पत्र व्यवहार का पता—</p> <p>(दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)</p> <p>7. वर्तमान व्यवसाय/कार्य—</p> <p>व्यवसाय स्थान का पता –</p> <p>(दूरभाष नंबर सहित)</p> <p>8. वित्तीय स्थिति—</p> <p>दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु लगाई जाने वाली पूँजी की व्यवस्था – हाँ/नहीं</p> <p>9. 1) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—</p> <p>2) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—</p> | |

साँची दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट हेतु **E.O.I.** के संबंधित समस्त शर्तें एवं
अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

दिनांक —

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं पिता/पति श्री रस्थायी पता
..... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर
कहता / कहती हूँ कि :—

- “ यह कि मुझे/हमें किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो मैं/हम इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी/हमारी निविदा निरस्त की जा सकेगी।”
- यह कि मेरा/हमारा वर्तमान में किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरुद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है/नहीं चल रहा है।

यह कि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य निरस्त कर मुझे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते हैं।

गवाह—

- नाम—
पता—
आधार कार्ड नं
मो.नं.
- नाम—
पता—
आधार कार्ड नं
मो.नं.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

- नाम—
पता—
.....
मो.नं. —

अनापत्ति प्रमाण पत्र
(सिर्फ वर्तमान वितरकों हेतु)

यह प्रमाणित किया जाता है, कि कुमारी/श्री/श्रीमति/मेसर्स
..... वर्तमान में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
इन्दौर के साथ के रूप में कार्यरत है। आज दिनांक
..... को इनका खाता नियमित है एवं दिनांक
की स्थिति में बकाया राशि/- है, जिसके विरुद्ध प्रतिभूति
राशि पेटे नगद राशि रूपये/- एवं बैंक ग्यारन्टी या एफ.
डी. राशि रूपये/- जमा है।

अतः मेसर्स द्वारा सम्पूर्ण
इन्दौर शहर में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर/रिटेल पैकिंग
SMP विक्रय हेतु दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट हेतु जारी की गयी E.O.I.
में भाग लिया जाता है, तो इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ को कोई आपत्ति नहीं
है।

जारी दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

समस्त दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर दर संरचना (G.S.T.) सहित

<small>INDORE SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT PHONE NO. (0731) 2802535, 4021402 Fax No. 0731-2802559</small>					
WITH GST			AS ON : 11-01-2024		
PARTICULARS		SUPER STOCKIST	DISTRIBUTOR	RETAILER	M.R.P.
SANCHI GHEE	100 ML(90PKT)	58.84	59.38	61.76	66.00
	200 ML (60PKT)	113.05	114.10	118.75	128.00
	500 ML (32PKT)	278.70	281.33	290.40	310.00
	1 LTR(16PKT)	548.79	554.04	572.49	610.00
	05 LTR JAR	2791.49	2817.74	2876.99	3025.00
	15 KG JAR	8880.00	8958.75	9105.00	9450.00
	COW 1 LTR(16PKT)	598.80	604.05	622.50	660.00
	COW 5 LTR JAR	3016.51	3042.75	3102.01	3250.00
	COW 5 KG TIN	3392.00	3418.25	3486.47	3650.00
SANCHI S.M.P.	COW 15 KG TIN	9080.00	9158.75	9305.00	9650.00
	250 GM	93.00	95.00	98.00	105.00
	1 KG	362.00	370.00	382.00	410.00
TABLE BUTTER	100 GM	46.50	48.00	50.00	55.00
	500 GM	239.00	245.00	253.00	275.00
	10 GM CHIPLETS (240 GM PKT)	102.72	105.60	109.44	120.00
	10 GM CHIPLETS (400 GM PKT)	171.20	176.00	182.40	200.00
	20 GM CHIPLETS (240 GM PKT)	102.72	105.60	109.44	120.00
	20 GM CHIPLETS (400 GM PKT)	171.20	176.00	182.40	200.00
SHREEKHAND	100 GM CUP	24.00	24.50	26.00	30.00
	5 KG PKT	1010.00	1030.00	1075.00	1250.00
	LASSI LITE	200 ML POUCH	16.00	16.50	17.50
LASSI	200 ML GLASS	24.00	24.50	26.00	30.00
BUTTER MILK	200 ML PKT (Salted)	6.50	7.00	8.00	10.00
	500 ML PKT (PLAIN)	13.25	13.75	14.50	16.00
	5 LTR PKT (PLAIN)	102.00	107.00	112.00	120.00
FLAVORED MILK	200 ML BOTTLE	24.23	25.01	26.85	30.00
	200 ML PKT	15.80	16.33	17.38	20.00
	180 ML BOTTLE	19.23	20.01	21.85	25.00
	200 ML PP BOTTLE	24.00	24.50	26.00	30.00
CHAKKA	1 KG	170.00	175.00	185.00	200.00
	PLAIN CURD	400 GM PKT	27.00	28.00	29.25
CURD	1 KG PKT	65.00	67.00	70.00	75.00
	200 GM PKT	21.50	22.25	23.75	26.00
CURD	5 KG	300.00	310.00	325.00	350.00
	BIO MAGIC CURD	100 GM	9.00	9.50	10.50
PANEER	1 KG	350.00	353.00	360.00	380.00
	250 GM	91.00	92.00	94.00	100.00
	100 GM	41.00	41.50	42.50	45.00
CHHENNA RABDI	100 GM	24.00	25.00	27.00	32.00
	1 KG	253.00	263.00	277.00	300.00
	5 KG	1210.00	1230.00	1275.00	1450.00
PEDA	1 KG	329.00	334.00	348.00	380.00
	500 GM	171.00	174.00	182.00	200.00
	250 GM	88.00	90.00	95.00	105.00
	02 NO. (35 GM)	14.00	14.25	15.00	17.00
RASGULLA	500 GM (TIN)	85.55	88.35	93.95	105.00
	1 Kg	174.00	179.00	189.00	210.00
GULABJAMUN	500 GM (TIN)	97.50	101.55	108.50	120.00
	1 Kg	190.00	197.00	209.00	230.00
MAWA	5 KG	1705.00	1725.00	1750.00	1850.00
	1 KG	360.00	366.00	378.00	400.00
	500 GM	181.00	183.00	188.00	200.00
	250 GM	89.00	91.00	94.00	100.00

Product Details					
Item Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Unit Price	Total Price
GULABJAMUN MAVA	5 KG PKT	1630.00	1650.00	1675.00	1775.00
THANDAI	200 ML POUCH	17.55	18.00	18.85	20.00
	180 ML BOTTLE	19.00	19.50	21.00	25.00
LOW FAT PANEER	5 KG	943.50	967.25	1014.50	1100.00
	1 KG	199.00	202.15	210.55	225.00
	500 GM	102.00	103.60	107.80	115.00
SANCHI PREMIX COFFEE LITE	20 GM (PKT)	6.00	8.50	9.00	10.00
	1 KG (POUCH)	320.00	340.00	360.00	400.00
GULABJAMUN MIX	200 GM (PKT)	63.00	66.00	70.00	80.00
SANCHI COMBO PACK (MISHRIT MITHAI)	1 (KG)	300.00	310.00	325.00	350.00
	98 GRAM	28.85	28.95	29.20	30.00
SANCHI PREMIX CHAI	20 GM (POUCH)	8.25	8.45	8.85	10.00
	1 KG (PKT)	356.80	361.80	371.80	400.00
PRASADI PEDA	120 GRAM PKT	39.00	40.00	41.00	51.00
	240 GRAM PKT	77.00	79.00	81.00	101.00
COMBO PACK -2	1 KG GULABJAMUN+	294.00	306.00	328.00	370.00
	1 KG RASGULLA				
PEDA SPECIAL	250 GM.PKT	98.00	100.00	105.00	115.00
	500 GM PKT	191.00	194.00	202.00	220.00
	1 KG PKT	369.00	374.00	388.00	420.00
	1.5 KG PKT	519.00	528.00	548.00	590.00
GOAT MILK	200 ML FLAVOURED BOTTLE	22.40	24.00	26.00	30.00
	BUTTER COOKIES 75 GM PKT	17.20	17.50	18.00	20.00
	BUTTER COOKIES 150 GM PKT	46.52	47.35	49.00	55.00
	BUTTER COOKIES 300 GM PKT	93.05	94.70	98.00	110.00
	JEERA COOKIES 75 GM PKT	17.20	17.50	18.00	20.00
	JEERA COOKIES 150 GM PKT	46.52	47.35	49.00	55.00
	JEERA COOKIES 300 GM PKT	93.05	94.70	98.00	110.00
	CHOCOLATE COOKIES 75 GM PKT	17.20	17.50	18.00	20.00
	CHOCOLATE COOKIES 150 GM PK	51.52	52.35	54.00	60.00
	CHOCOLATE COOKIES 300 GM PK	103.05	104.70	108.00	120.00
	COCONUT COOKIES 75 GM PKT	17.20	17.50	18.00	20.00
	COCONUT COOKIES 150 GM PKT	51.52	52.35	54.00	60.00
	COCONUT COOKIES 300 GM PKT	103.05	104.70	108.00	120.00
SANCHI KACHI KERRY CURD	KACHI KERRY CURD 100 GM CUP	11.95	12.50	13.50	15.00
SANCHI BRAJ PEDA	500 GM PKT	191.00	194.00	202.00	220.00
	02 NO.(65 GRAM)	16.95	17.25	18.00	20.00
	250 GM PKT	88.75	91.25	95.00	105.00
	500 GM PKT	167.50	172.50	180.00	200.00
	1 KG	315.00	325.00	340.00	380.00
SANCHI MILK CAKE	250 GM PKT	103.00	105.00	110.00	120.00
	500 GM PKT	191.00	193.00	202.00	220.00
SANCHI HEALTH VITA PLUS	200 GM PKT	82.31	83.96	86.15	90.00
	750 GM PKT	271.14	277.34	285.57	300.00
	1 KG PKT	346.15	352.35	360.58	375.00
COLD COFFEE PP BOTTLE	200 ML	29.17	29.75	31.50	35.00
SUGAR FREE FLAVOUED MILK PP BOTT	200 ML	25.00	25.50	27.00	30.00
COOKING BUTTER	500 GM (2 KG CASE)	763.48	782.78	802.09	860.00
	500 GM (5 KG CASE)	1908.70	1956.96	2005.22	2150.00
	500 GM (10 KG CASE)	3817.39	3913.91	4010.43	4300.00
	500 GM PKT	190.87	195.69	200.52	215.00

Indore Sahakari Dugdh Sangh Maryadit, Indore.

Packwise, Type wise Ice Cream Cost

SN	Flavour	Type	Pack Size	Distributor Rate (Including GST) Rs/Pack	Retailer Rate (Including GST) Rs/Pack	Proposed MRP Rs/Pack
1	- Vanilla	Brick ML	750	85.60	91.90	115
	- Vanilla	Brick ML	1500	169.14	178.14	210
	Vanilla	Brick ML	4000	429.38	448.70	520
	- Vanilla	Cup ML	65	12.20	12.80	15
	- Vanilla	Cup ML	100	15.80	16.70	20
	- Vanilla	Cone ML	65	10.80	11.70	15
	- Vanilla	Cone ML	100	14.40	15.60	20
	Vanila	Candy	60	12.20	12.80	15
2	- Strawberry	Brick ML	750	89.20	95.80	120
	- Strawberry	Brick ML	1500	176.87	186.37	220
	- Strawberry	Brick ML	4000	455.44	475.60	550
	- Strawberry	Cup ML	65	12.20	12.80	15
	- Strawberry	Cup ML	100	15.80	16.70	20
	Strawberry	Cone ML	65	10.80	11.70	15
	Strawberry	Cone ML	100	14.40	15.60	20
	Strawberry	Candy	60	12.20	12.80	15
3	- Butter Scotch	Brick ML	750	101.40	108.60	135
	- Butter Scotch	Brick ML	1500	202.33	212.83	250
	- Butter Scotch	Brick ML	4000	495.59	517.85	600
	- Butter Scotch	Cup ML	65	10.80	11.70	15
	- Butter Scotch	Cup ML	100	14.40	15.60	20
	Butter Scotch	Cone ML	65	14.40	15.60	20
	Butter Scotch	Cone ML	100	18.00	19.50	25
	Butter Scotch	Candy	60	10.80	11.70	15

SN		Flavour	Type	Pack Size	Distributor Rate Including GST) Rs/Pack	Retailer Rate (Including GST) Rs/Pack	Proposed MRP Rs/Pack
4	-	Chocolate	Brick ML	750	93.60	101.40	130
	-	Chocolate	Brick ML	1500	196.87	206.37	240
	-	Chocolate	Brick ML	4000	461.50	482.50	560
	-	Chocolate	Cup ML	65	10.80	11.70	15
	-	Chocolate	Cup ML	100	14.40	15.60	20
		Chocolate	Cone ML	65	14.40	15.60	20
		Chocolate	Cone ML	100	18.00	19.50	25
		Chocolate	Candy	60	10.80	11.70	15
5	-	Kesar Pista	Brick ML	750	143.00	152.00	185
	-	Kesar Pista	Brick ML	1500	285.52	297.52	340
	-	Kesar Pista	Brick ML	4000	586.73	611.88	700
	-	Kesar Pista	Cup ML	65	14.40	15.60	20
	-	Kesar Pista	Cup ML	100	18.00	19.50	25
	-	Kesar Pista	Cone ML	65	18.00	19.50	25
		Kesar Pista	Cone ML	100	21.60	23.40	30
		Kesar Pista	Candy	60	14.40	15.60	20
6	-	Mango	Brick ML	750	93.60	101.40	130
	-	Mango	Brick ML	1500	196.87	206.37	240
	-	Mango	Brick ML	4000	501.50	522.50	600
	-	Mango	Cup ML	65	10.80	11.70	15
	-	Mango	Cup ML	100	14.40	15.60	20
	-	Mango	Cone ML	65	14.40	15.60	20
		Mango	Cone ML	100	21.60	23.40	30
		Mango	Candy	60	10.80	11.70	15
7	-	Chocobar	Candy	50	10.80	11.70	15
		Chocobar	Candy	80	14.90	16.40	20

समय—समय पर उक्त दरें परिवर्तनशील रहेगी। परन्तु सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन अनुबन्ध अवधि में स्थिर रहेगा।

अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप

यह अनुबंध (**E.O.I.** सूचना क्रमांक दिनांक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) एवं श्री/श्रीमती/मेसेसेर्स..... आत्मज/पति/प्रोपायटर श्री/श्रीमती/कुमारी आयु—..... निवासी—..... (म0प्र0) (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांक को निष्पादित किया जा रहा है :—

- 1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन—लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रु. रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।
- 3) सफल आवेदक की नियुक्ति पश्चात संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रुपये **5.00** लाख नकद आर.टी.जी. एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में एवं राशि रुपये **5.00** लाख की बैंक ग्यारंटी या **F.D.** इन्दौर दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय में एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। **ई.एम.डी.** राशि का समायोजन भी प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। इस तरह कुल प्रतिभूति राशि रुपये **11.00** लाख होगी। कार्यादेश मिलते ही अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 4) सफल आवेदक को इन्दौर शहर में दुग्ध उत्पाद भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज 2 डिग्री से 4 डिग्री तक का स्वच्छ, धूल रहित स्थान पर एवं आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) स्वयं/किराए का गोडाउन या डीप फ्रीजर क्षमता 01 मीट्रिक टन होने पर। (अर्थात् 3000 क्युबिक फीट का कोल्ड रूम -20 डिग्री तापमान वाला एवं 10 डीप फ्रीज न्यूनतम 100 लीटर क्षमता वाला होने पर या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही वितरण कार्य में लगाए जाने वाले आवश्यकतानुसार न्यूनतम 03 रेफ्रिजरेटेड वाहन (2 डिग्री से 4 डिग्री) तापमान एवं 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) तापमान सभी वाहनों की क्षमता 1.50 से 2.00 टन होना अनिवार्य है। (प्रत्येक वाहन की पृथक—पृथक) होकर तीन ओर से कवर्ड, एक ओर दरवाजा होगा, की व्यवस्था भी करना होगी। वितरण वाहनों की बॉडी समतल होगी, जिससे दुग्ध संघ के मापदंड अनुसार विज्ञापन को स्वयं के व्यय पर लगाना होगा तथा उसे प्रतिवर्ष बदलना होगा। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे गोदाम किराया अनुबंध या भंडारण स्थल की रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन फिटनेस भी जमा करवाने होंगे। वाहन पर संलग्न किए जाने वाले वाहन चालक/परिचालक के स्वयं द्वारा सत्यापित परिचय पत्र (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर, वर्तमान निवास, मूल निवास, मोबाइल नंबर आदि) वैध लाईसेंस की छायाप्रति कार्यालय में देना होगी। इसी तरह उक्त स्टॉफ में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उपरोक्तानुसार देना अनिवार्य होगा एवं यही मापदंड नये कर्मी के लिए भी रहेंगे।
- 5) सफल आवेदक को सभी वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जब तक वाहन स्वयं के नाम से उपलब्ध नहीं हो तब तक कार्य जारी रखने के लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना होगी। वाहन पर दुग्ध संघ द्वारा बताई गई ब्राइंडिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से प्रिंट—पेट कराना होगी।
- 6) सुपरस्टॉकिस्ट के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेंगे :—

- 6.1) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण इन्दौर जिले के कार्य क्षेत्र में सभी वितरकों एवं प्रमुख दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रेताओं की माँग प्राप्त कर उसकी पूर्ति हेतु वाहन भेजना आवश्यक होगा।
- 6.2) सुपरस्टॉकिस्ट को आवश्यकता अनुसार वाहनों को संचालित करना होगा।
- 6.3) सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर की वेरिएंट अनुसार माँग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई-मेल द्वारा प्रतिदिन मुख्य दुग्ध संयंत्र को देना होगी।
- 6.4) सुपरस्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर हर तरह से अर्थात् गुणवत्ता, लीकेज, वजन, पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् दुग्ध संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। एक बार वाहन डिस्पैच होने के पश्चात् दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जाएगा। न ही रिस्लेसमेन्ट दिया जाएगा।
- 6.5) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय की माँग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम राशि दुग्ध संघ खाते में जमा करने के पश्चात् ही साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय किया जावेगा (जमा प्रतिभूति राशि के एवज में दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर नहीं दिया जाएगा) अग्रिम राशि जमा नहीं होने पर दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट की सेवा समाप्त की जाकर प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी।
- 6.6) सफल आवेदक को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के नाम पर संचालित बैंक खाते के अकाउण्ट-पे रेखांकित पाँच चैक हस्ताक्षरयुक्त अग्रिम में दुग्ध संघ को देने होंगे।
- 6.7) इन्दौर शहर में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वितरण हेतु वाहन संचालित करना होगा।
- 6.8) सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में प्रचलित निर्धारित मार्जिन वितरक/विक्रेताओं को देना अनिवार्य होगा, जो समय-समय पर परिवर्तनशील होने पर सुपरस्टॉकिस्ट को मान्य करना होगा।
- 6.9) सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय हेतु इन्दौर शहर में न्यूनतम 05 टन दुग्ध उत्पाद भंडारण हेतु पृथक से गोडाऊन व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
- 6.10) साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय में किसी प्रकार के नकली दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय के कार्य एवं ब्रांड को क्षति पहुँचाने वाले कार्य किये जाने पर सुपरस्टॉकिस्ट को ब्लेकलिस्ट किया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।
- 6.11) सफल आवेदक को इन्दौर शहर में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय में वृद्धि हेतु वितरक नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
- 7) इन्दौर जिले में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय हेतु नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपरस्टॉकिस्ट को कम से कम पाँच योग्य विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर रखना होगा एवं उनकी आवश्यकतानुसार वृद्धि करना होगी।
- 8) यह कि अनुबंधित अवधि में प्रतिमाह 125 टन दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर बेचना अनिवार्य होगा (न्यूनतम)/यदि किसी भी 03 माह में इससे कम दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर बेचा जाता है, तो प्रतिभूति राशि में से रुपये 50,000/- का समायोजन पैनाल्टी बतौर दुग्ध संघ खातें में कर लिया जाएगा।
- 9) **E.O.I.** में समान अंक आने पर लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा। अंक तालिका हेतु प्रपत्र 08 संलग्न है। इसके आधार पर चयन होगा।
- 10) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।
- 11) सुपरस्टॉकिस्ट सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्हीं विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कफ्यू, निजी व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि में शामिल नहीं होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना होगा।

- 12) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले 03 रेफ्रिजरेटेड वाहन (2 डिग्री से 4 डिग्री) एवं 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) की वाहन से वितरण करना अनिवार्य होगा।
- 13) आवेदक का चयन होने के पश्चात कार्य के दौरान क्षेत्र के किसी भी वितरक से यह शिकायत प्राप्त होती है कि उन्हें सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर प्रदाय नहीं किया गया है, यह प्रमाणित होने पर सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वितरण कार्य से पृथक कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
- 14) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार रूपये 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वितरण/विक्रय हेतु इन्दौर शहर हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक-एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।
- 15) सुपरस्टॉकिस्ट को एक माह का पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में सुपरस्टॉकिस्ट कार्य बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट (साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर) का कार्य छोड़ने बाबद देना होगा।
- 16) संघ से क्रय किये जाने वाले दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर की राशि **RTGS** के माध्यम से संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।
- 17) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राइडिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपरस्टाकिस्ट को स्वयं के व्यय से करना होगा।
- 18) **E.O.I.** प्रपत्र के साथ आपके विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।
- 19) किसी भी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।
- 20) **E.O.I.** में प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 21) **E.O.I.** स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदक की अर्नेस्ट मनी जब्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- 22) **E.O.I.** ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
- 23) सुपरस्टॉकिस्ट अपने कार्यक्षेत्र में रिटेलरों द्वारा उपभोक्ताओं को MRP पे ही साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। **MRP** से अधिक दर पर विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट जिम्मेदार होंगे।
- 24) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर माननीय प्रबंध संचालक महोदय, मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 25) **E.O.I.** स्वीकृत होने के पश्चात आवेदक द्वारा यदि कार्य में अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

- 26) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, **MPCDF** को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बाट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- 27) प्रबंधन द्वारा समय—समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
- 28) इस अनुबंध का न्यायाधिक कार्यक्षेत्र इन्दौर शहर का न्यायालय में रहेगा।
- 29) टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 30) सफल आवेदक को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधकर्ता की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में सुपरस्टॉकिस्ट कार्य किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी समस्त लेनदारी—देनेदारी का निराकरण करेगा।
- 31) आवेदक को **E.O.I.** प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्रमांक (03) एवं (04) रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पत्र पर तथा प्रपत्र क्रमांक 05 दुग्ध संघ से (यदि वर्तमान में वितरक है ता) एन.ओ.सी. प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के तकनीकी विवरण प्रपत्र क्रमांक 01 के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- 32) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
- 33) यह कि अनुबंध के विषयों पर उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय, इन्दौर को होगा।
- 34) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो जमानतदार द्वितीय पक्ष को देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरानामें के परिणिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीय पक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक रहेंगे। द्वितीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।
- 35) यह कि द्वितीय पक्ष को दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय वृद्धि हेतु दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर विक्रय लक्ष्य दिए जावेंगे। जिसकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा।
- 36) यह कि प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा समय—समय पर दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय लक्ष्य की समीक्षा की जावेगी, समीक्षा पश्चात सुपरस्टॉकिस्ट दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर एजेंसी आगे ओर बढ़ाई जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी कारण मान्य नहीं रहेगा।
- 37) यह कि द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर वांछित मात्रा की माँग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित में प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर उठाया जाना होगा, एक बार माँग दिए जाने पर उसमें किसी प्रकार की काट—छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।
- 38) यह कि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रीत होने वाले दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।
- 39) यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ निर्मित दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर के सेंपल की माँग की जाती है, तो द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट उन्हे सील बंद इकाई (दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर) देवेंगे, किसी भी स्थिति में खुल्ला दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर नहीं देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेंपल होने की सूचना तत्काल दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियों भी कार्यालय में 03 घण्टे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।

- 40) यह कि द्वितीय पक्ष “साँची” दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय हेतु अधिकृत सुपरस्टॉकिस्ट रहेगा, अतः छोटे-छोटे व्यापारियों/वितरक/विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बना कर रखना होगा, जिससे साँची ब्राण्ड दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती रहे।
- 41) यह कि उक्त अनुबंध दोनों पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से प्रभावशील/बंधनकारी रहेगा।
- 42) यह कि उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। किये जाने वाले परिवर्तन की सूचना द्वितीयपक्ष को लिखित में दी जाएगी।
- 43) द्वितीय पक्ष के वितरण वाहन को किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आकस्मिक निरिक्षण किया जा सकता है। यदि आकस्मिक निरिक्षण के दौरान वितरण वाहन में आपत्तिजनक/प्रतिबंधित वस्तुएं ऐवं प्रतिस्पर्धी ब्राण्डों के दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर अथवा अन्य चीजें पायी जाती हैं तो द्वितीय पक्ष को तत्काल ब्लैक लिस्टेड कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित द्वितीय पक्ष की होगी।
- 44) द्वितीय पक्ष किसी भी दशा में कार्य प्रारंभ करने के उपरांत इस कार्य को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। यदि अनुबंध अवधी के दौरान तत्संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, समिति द्वारा जाँच उपरांत शिकायत सही पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर, द्वितीय पक्ष ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
- 45) भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम ऐवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
- 46) यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष का स्टॉफ कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। द्वितीय पक्ष तत्काल ऐसे स्टॉफ को कार्य से पृथक करेगे अन्यथा द्वितीय पक्ष या इनके स्टॉफ द्वारा अनुशासनहीनता करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।
- 47) उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष की सहमति बंधनकारी होगी।
- 48) वार्षिक विक्रय में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी आवश्यक होगी।
- 49) दुग्ध संघ की ब्राण्डिंग का दुरुपयोग नहीं हो जैसे :— जालसाजी, छूप्लीकेटिंग में पाये जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 50) साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर को बल्क में क्रय कर स्वयं/अन्य ब्राण्ड की पैकिंग में विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाये जाने पर दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट कार्य से पृथक कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
- 51) साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट हेतु जारी इस **E.O.I.** में दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर उत्पादनकर्ता फर्म को पात्रता नहीं रहेगी।

यह कि मैं/हम घोषित करता कि मेरी/हमारी
अनुबंध अवधि में यदि मेरी/हमारी मृत्यु होती हैं तो मैं/हम, श्री/श्रीमती/कुमारी
..... को अपना उत्तराधिकारी विधिसम्मत घोषित करता/करती हूँ।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया हैं एवं पूर्ण होश
हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

गवाह : —

हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर

प्रथम पक्ष

नाम :

पता :

आधार कार्ड नम्बर

द्वितीय पक्ष

मोबाइल नम्बर

2. हस्ताक्षर

नाम :

पता :

आधार कार्ड नम्बर

मोबाइल नम्बर

प्रपत्र क्र. 08

साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर इन्डौर शहर सुपरस्टॉकिस्ट का चयन हेतु

क्रं.	विवरण	अधिकतम अंक	अधिक / टर्नओवर अनुभव पर प्रतिवर्ष अनुसार अंक	कुल अंक
1	दुग्ध उत्पाद व्यवसाय का अनुभव (न्यूनतम 03 वर्ष अनिवार्य) निर्धारित अंक 20	20		
2	वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 हेतु टर्नओवर (डेयरी उत्पाद एवं दुग्ध उत्पाद व्यवसाय से संयुक्त रूप से) (न्यूनतम रूपये 25.00 करोड़) तीन वर्ष हेतु निर्धारित अंक 10 प्रत्येक रूपये 5.00 करोड़ अधिक होने पर 01 अंक अतिरिक्त अधिकतम 10 अंक।	20		
3	दुग्ध उत्पाद वितरण हेतु 03 रेफ्रिजरेटेड वाहन (2 डिग्री से 4 डिग्री) क्षमता (1.50 से 2.00 टन क्षमता के) एवं 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) क्षमता (1.50 से 2.00 टन क्षमता) उपलब्ध होने पर या शपथ पत्र देने पर पूर्ण अंक देय।	20		
4	05 सक्रिय सेल्समेन सहित विक्रिय नेटवर्किंग का सुविधायुक्त तंत्र कार्यालय शहर में होने पर।	20		
5	इन्दौर शहर में दुग्ध उत्पाद भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज 2 डिग्री से 4 डिग्री तक का स्वच्छ, धूल रहित स्थान पर एवं आइसक्रीम/टेबल बटर हेतु (-18 डिग्री से -25 डिग्री) स्वयं/किराए का गोडाउन या डीप फ्रीजर क्षमता 01 मीट्रिक टन होने पर। (अर्थात् 3000 क्युबिक फीट का कोल्ड रूम -20 डिग्री तापमान वाला एवं 10 डीप फ्रीज न्यूनतम 100 लीटर क्षमता वाला होने पर या शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्ण अंक देय।	20		

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी (वर्तमान में कार्यरत) से कोई रिश्तेदारी/ब्लड रिलेशन नहीं होने का स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप (रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम	—
पिता/पति का नाम	—
आयु	—
निवासी	—

मेरे द्वारा जिला इन्डौर हेतु साँची दुग्ध उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं/मेरी संस्था इन्डौर दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी (वर्तमान में कार्यरत) से मेरी कोई रिश्तेदारी (ब्लड रिलेशन) संबंध नहीं है।

इति दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर शपथगृहिता

॥ सत्यापन ॥

मैं शपथगृहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तब दुग्ध संघ मेरा कार्य आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इति स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर शपथगृहिता

:: जमानतदारनामा ::

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री
..... आयु में है कि, मैं विभाग / संस्था
..... पद स्थान

..... में कार्यरत हूँ एवं प्रथम पक्ष (इन्डौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्डौर) एवं
द्वितीय पक्ष, श्री / श्रीमती / मेसर्स आयु
निवासी के बीच आज
दिनांक को साँची दुग्ध उत्पाद / आइसक्रीम / टेबल बटर¹
सुपरस्टाकिस्ट हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत यदि
प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रूपये तक के
नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने
अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा अन्यथा
प्रथम पक्ष हमारी चल—अचल सम्पत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे साँची दुग्ध
उत्पाद / आइसक्रीम / टेबल बटर सुपरस्टॉकिस्ट हेतु निष्पादित अनुबंध की पूर्ति
के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाह : —

	जमानतदार	प्रथम पक्ष
1. हस्ताक्षर
नाम :
पता :
आधार कार्ड नम्बर
मोबाईल नम्बर
2. हस्ताक्षर
नाम :
पता :
आधार कार्ड नम्बर
मोबाईल नम्बर

:: जमानतदारनामा ::

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री
 .. आयु मे है कि, मैं विभाग / संस्था
 पद स्थान में
 कार्यरत हूँ एवं प्रथम पक्ष (इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर) एवं
 द्वितीय पक्ष, श्री / श्रीमती / मेसर्स आयु
 निवासी के बीच आज
 दिनांक को साँची दुग्ध उत्पाद / आइसक्रीम / टेबल बटर
 सुपरस्टाकिस्ट हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत यदि
 प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रूपये तक के
 नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने
 अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा अन्यथा
 प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से वसल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे सॉची दुर्घटना/उत्पाद/आइसक्रीम/टेबल बटर सुपरस्टाकिस्ट हेतु निष्पादित अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाह : —

1. हस्ताक्षर
नाम :
पता :

.....
आधार कार्ड नम्बर
मोबाईल नम्बर

2. हस्ताक्षर
नाम :
पता :

.....
आधार कार्ड नम्बर
मोबाईल नम्बर

जमानतदार

प्रथम पक्ष

- हस्ताक्षर
नाम :
पता :

.....

आधार कार्ड नं.
मोबाइल नम्बर